मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झॉसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
06/04/13	02/13/20	6 वर्ष, 8 माह, 9 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष	माह/दिनॉक/वर्ष	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार,एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या-296/2013,

रबीन्द्र सिंह आयु लगभग 32 वर्ष तनय श्री चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट घुरैया थाना टहरौली जिला झॉसी, उ.प्र.

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री आर. एम. शर्मा)

---------याची

बनाम

1. श्रीमती शीला पत्नी स्व. मातादीन यादव ''मृतक दौरान मुकद्दमा'' पुत्र श्री रम्मी यादव निवासी मुहल्ला तलैया मिनर्वा टाकीज के पीछे झॉसी शहर, उ.प्र. हाल निवासी 330/4 सिविल लाईन, झॉसी,

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह बुंदेला)

.....स्वामी बस संख्या- यू.पी. 93 ई 9899,

2. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नन्दनपुरा चौराहा सीपरी बाजार, झॉसी, उ.प्र.,

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव)

.....बीमाकर्ता बस संख्या- यू.पी. 93 ई 9899,

3. छत्रसाल सिंह पुत्र हनुमंत सिंह निवासी ग्राम इटौरा थाना बरूआसागर जिला झॉसी,

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह बुंदेला)

.....चालक बस संख्या- यू.पी. 93 ई 9899,

---------विपक्षीगण

अधिनिर्णय

प्रस्तुत याचिका याची रबिन्द्र सिंह द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आयी चोटों के कारण ₹ 27,55,000/- क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची रबीन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह निवासी मुहल्ला तलैया मिनर्वा टाकीज के पीछे, झॉसी उम्र 32 साल दिनॉक 25-02-2013 को बस संख्या यू.पी. 93 ई 9899 में बैठकर अपने ग्राम घुरैया से गुरसरांय जा रहा था कि समय करीब 7.30 बजे शाम बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम घुरैया से लगभग 2 किलोमीटर आगे पुलिया के पास पलटा दिया, जिससे याची रबीन्द्र सिंह के सीने में बस में लगी ऐंगिल सरिया घुस गया जिससे पसलियॉ क्षतिग्रस्त हो गयीं, गुर्दे प्रभावित हुये तथा अन्य सवारियों को भी चोटें आयीं। याची कृषि कार्य एवं स्वयं का शामयाना का कार्य करके लगभग ₹ 15,000/- प्रतिमाह कमा लेता था ।

3. तत्कालीन विपक्षी सं. 1 मातादीन यादव बस के पंजीकृत स्वामी की ओर से 14 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विपक्षी सं. 1 की प्रश्नगत बस कथित दुर्घटना की दिनॉक को विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. जरिये मंण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लि., नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झॉसी से बीमित थी। घटना के दिनॉक को विपक्षी के चालक छत्रपाल सिंह के पास बस चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था व घटना के दिनॉक को प्रश्नगत बस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र वैध थे। यदि याची को किसी प्रकार क्षतिपूर्ति की अदायगी की कोई जिम्मेवारी विपक्षी सं. 1 की पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी की है।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 11:01:33 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

4. विपक्षी सं. 1 मातादीन यादव प्रश्नगत बस के पंजीकृत स्वामी की दौरान मुकद्दमा मृत्यु हो जाने के उपरान्त इस याचिका में प्रतिस्थापित वर्तमान विपक्षी सं. 1 श्रीमती शीला पत्नी मृतक मातादीन यादव एवं विपक्षी सं. 3 छत्रपाल सिंह प्रश्नगत बस के चालक की ओर से संयुक्त रूप से 24 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विपक्षी सं. 1 की प्रश्नगत बस कथित दुर्घटना की दिनॉक को विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. जरिये मंण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लि., नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झॉसी से बीमित थी। घटना के दिनॉक को विपक्षी के चालक छत्रपाल सिंह के पास बस चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था व घटना के दिनॉक को प्रश्नगत बस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र वैध थे। यदि याची को किसी प्रकार क्षतिपूर्ति की अदायगी की कोई जिम्मेवारी विपक्षी सं. 1 की पायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी की है।

5. विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 31 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि दुर्घटना नही हुई है। कथित दुर्घटना के दिनॉक व समय पर बीमा नही था। यदि दुर्घटना व बीमा होना पाया जाता है तो विवादित बस के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 26.08.2016 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनॉक-25.02.2013 को जब याची बस सं. यू.पी. 93 ई 9899 में बैठकर घुरैया से गुरसरांय आ रहा था तब समय करीब 7.30 बजे बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम घुरैया से लगभग दो कि.मी. आगे पुलिया के पास बस को पलट दी जिससे याची घायल हो गया तथा उसे गम्भीर चोटें आयीं?

2. क्या दुर्घटना दिनॉक 25.02.2013 को बस सं. यू.पी. 93 ई 9899 के चालक के पास बस चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स था?

3. क्या दुर्घटना दिनॉक 25.02.2013 को बस सं. यू.पी. 93 ई 9899 विपक्षी सं. 2 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पपनी लिमिटेड से विधिवत् बीमित थी?

4. क्या याची विपक्षीगण से दुर्घटना में आयी चोटों के कारण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हॉ, तो कितना और किस विपक्षी से?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

1- याची द्वारा फेहरिस्त 6 सी1 से 7 सी1 लगायत 10 सी1 छाया प्रतियॉ,

2- याची द्वारा फेहरिस्त 46 सी1 से 47 सी1 लगायत 52 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें असल डिस्चार्ज स्लिप, एफ.आई.आर., प्रार्थनापत्र की छाया प्रतियॉ व याची की जॉच रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट आदि शामिल हैं।

3- विपक्षी सं. 1 की ओर से फेहरिस्त 15 सी1 से 16 सी1 लगायत 20 सी1, जिनमें प्रश्नगत बस के पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, चालक लाइसेन्स एवं फिटनेस प्रमाणपत्र आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ हैं ।

4- याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 के रूप में याची रबीन्द्र सिंह स्वयं को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

8. याची या उनके विद्वान् अधिवक्ता व विपक्षी सं. 1 व 3 या उनके विद्वान् अधिवक्ता कई बार पुकार के बावजूद उपस्थित नहीं आये। पूर्व मे बहस के कई मौके तथा अंतिम मौका दिया जा चुका है। विपक्षी सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये। विधि

व्यवस्था United India Insurance Co. Ltd. vs. Additional District and Sessions Judge and Ors. (21.02.2003 - ALLHC) : MANU/UP/1479/2003 में यह धारित किया गया है कि वाद बिन्दु विरचित हो जाने के पश्चात यदि पक्षकार उपस्थित नहीं आते हैं तो न्यायाधिकरण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे सकता है। मैंने विपक्षी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

9. वाद बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में PW1 ने यह कथन किया है कि वह दिनॉक 25.02.2013 को ग्राम घुरैया से गुरसरांय बस सं. यू.पी. 93 E 9893 में बैठकर जा रहा था। बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। घुरैया से 2 किलोमीटर आगे बस को पुलिया से टकरा दिया जिससे बस पलट गयी जिससे उसे व अन्य सवारियों को चोटें आयीं। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता हो कि दुर्घटना नहीं हुई या दुर्घटना में बस चालक की तेजी व लापरवाही नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक 25.2.2013 को सर्दी का समय था तथा घना कोहरा छाया हुआ था। घटनास्थल के पूर्व ग्राम घुरैया में सवारी उतार कर बमुश्किल 10 किलोमीटर की गति से चलकर चालक नियंत्रित गति से चलाता हुआ अपनी बस लेकर का ककरबई जा रहा था। टहरौली से गुरसरांय रोड पर सड़क निर्माण का कार्य होने के कारण पूरे रोड के ऊपर गिट्टी पड़ी हुई थी। जैसे ही चालक अपनी बस को गुरैया से चलकर 2 किलोमीटर आगे गुरसराय की ओर पुलिया के पास अपने हाथ पर चलता हुआ सायं 7:30 बजे पहुंचा उसी समय सड़क पर कुछ जानवर आ गए जिन्हें बचाने के लिए चालक ने अपनी बस को एकदम अपने हाथ पर नीचे उतारा उसी समय पूरे रोड पर पड़ी हुई गिट्टी से पहिया स्लिप होकर गाड़ी एकदम पलट गई। इस कथन के अतिरिक्त कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विपक्ष के कथानक को बल मिलता हो। घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की याची वाद बिंदु संख्या 1 को साबित करने में सफल रहा है तदनुसार वाद संख्या 1 सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 2

10. विपक्षी संख्या 1 और 3 की ओर से प्रस्तुत चालन अनुज्ञप्ति की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार चालक छत्रपाल सिंह हैवी पैसेंजर वेहकिल चलाने की मान्यता थी 18.12.2012 से 17.12.2015 तक है। इस प्रति का खंडन बीमा कंपनी की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि दुर्घटना के समय बस चालक के पास प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी तदनुसार वाद बिंदु संख्या दो सकारात्मक रूप से विपक्षी संख्या दो के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 3

11. विपक्षी संख्या 1 और 3 की ओर से प्रस्तुत बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार बस सं. यू.पी. 93 E 9893 दिनॉक 29.08.2012 से 28.08.2013 बीमित है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि दुर्घटना के समय बस विपक्षी सं. 2 से बीमित थी तदनुसार वाद बिंदु संख्या दो सकारात्मक रूप से विपक्षी संख्या दो के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं. 3

12. PW1 ने यह साक्ष्य दिया है कि बस पलटने से उसके सीने में एंगल सरिया घुस गया तथा उसके पैर की हड्डी टूट गई। पैर की हड्डी टूटने के समर्थन मे कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। याची द्वारा डिस्चार्ज का पर्चा व सीने का सीटी स्कैन

प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सीने में ऐंगल घुसा है जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा है तथा पसलियॉ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गुर्दा क्षतिग्रस्त होने का कोई प्रमाण नहीं है। याची जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज कानपुर में लगभग 15 दिन भर्ती रहा है किंतु इलाज से संबंधित कोई बिल दाखिल नहीं किए गए हैं; ऐसी परिस्थिति में उक्त चोटों हेतु लम सम ₹20,000 इलाज खर्च आदि के रूप में विपक्षी संख्या 2 से दिलाया जाना न्यायोचित होगा। याचिका के निस्तारण मे विलम्ब याची की ओर से है अत: ब्याज 3.5% साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 2 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नन्दनपुरा चौराहा सीपरी बाजार, झॉसी, उ.प्र. के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **20,000/- (बीस हजार)** मय 3.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु स्वीकार की जाती है। विपक्षी 2 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 13.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक 13.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी